

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- / / 20.

क्रमांक:- भू.अ. / 20 . /
प्रेषित.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ
महोदय.

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शोरीबाई पिता मोहनलाल
पुवेली प.ह. रोलाहेडा के राजस्व ग्राम चन्दोरिया में जमाबन्दी संवत् 2066-69
की खाता संख्या 992 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम साठवी किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम साठवी का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से सर्वाधिक जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक: 7/10/2025
क्रमांक: सीडर/2025/839
निमित्त.

पटवार हल्का रोलाहेडा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री शोरीबाई पिता मोहनलाल
राजस्व ग्राम रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा की खाता संख्या 992 में
जाति/नाम साठवी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति के रूप में रिपोर्ट
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शोरीबाई पिता मोहनलाल
जाति/नाम साठवी एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिपोर्ट
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ